कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा–संभाग–अम्बिकापुर, छ.ग.

Email- jdhealthsurguja@gmail.com Phone/Fax no. 07774220451

क्रमांक / 355-05 / स्थापना / अविज्ञप्त / 2018. अम्बिकापुर, दिनांक 02 / 05 / 2018.

प्रति,

(समस्त) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–सरगुजा / कोरिया / जशपुर / बलरामपुर / सूरजपुर,
सरगुजा संभाग, छ.ग.।

विषयः–संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग के अधीन संस्थाओं में **जूनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अनंतिम वरिष्ठता सूची** का प्रकाशन बाबत्।

––

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर के अन्तर्गत संभाग की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में की **जूनियर ऑडिटर** के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन संलग्न सूची अनुसार किया जा रहा है।

2– आपको निर्देशित किया जाता है कि, प्रकाशित की जा रही अनंतिम वरिष्ठता सूची में आपके जिला अन्तर्गत संबंधित सेवा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगतियां हों या किसी कर्मचारी का नाम सम्मिलित होने से छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में दर्ज विसंगतियों के सुधार या सूची में दर्ज होने से छूटे नाम को जोड़ने हेतु स–प्रमाण एवं स्वयं स्पष्ट तथा टंकित / कम्प्यूराईज्ड आवेदन / अभ्यावेदन इस सूची के प्रकाशन की तिथि से 20 दिवस के अंदर संबंधित कर्मचारी के द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराया जावे। प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि, जिला स्तर पर प्रस्तुत होने वाले सुधार संबंधी अभ्यावेदनों के अनुसार अनंतिम पदक्रम में सुधार हेतु किये गये अनुरोध का सत्यापन संबंधित कर्मचारी के सेवा अभिलेखों से कराते हुए एकजाई सुधार प्रस्ताव तैयार कर अपने अभिमत सहित, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ.ग. को आपके कार्यालय के स्थापना शाखा लिपिक के हस्ते इस सूची के प्रकाशन होने की तिथि से 20 दिवस की समयावधि के भीतर भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छ.ग. कार्यालय को एकजाई सुधार प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जावे कि, सेवा संवर्ग में प्रकाशित की जा रही सूची में यदि संबंधित के नाम के सम्मुख कोई प्रविष्टि दर्ज होने से रह गई हो / कार्यरत कर्मचारी के नाम में से किसी कर्मचारी का नाम दर्ज होने से रह गया है अथवा दर्ज कर्मचारियों के नाम में से कोई कर्मचारी सेवानिवृति / त्यागपत्र / ऐच्छिक सेवानिवृति / पदोन्नति / स्थानान्तरण / मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान में कार्यरत नहीं रह गया है तो, ऐसे कर्मचारियों के संबंध में संक्षिप्त स्थिति दर्शाते हुय आवश्यक सुधार सुझाव के साथ प्रस्ताव निर्धारित समय–सीमा में तैयार कर **अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशन हेतु निर्धारित 16 कॉलम प्रपत्र में जानकारी** आपके कार्यालय के संबंधित स्थापना लिपिक के हस्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

निरन्तर पृष्ठ / /02/ / पर

3— आपसे अनुरोध है कि, संबंधित सेवा संवर्ग की प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची की प्रति आपके जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं को तथा आपके अधीनस्थ सेवा संवर्ग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को तत्काल (आज ही) उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, चाहे संबंधित किसी कर्मचारी का नाम सूची में दर्ज होने से छूट ही क्यों न गया हो।

4— यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, सेवा संवर्ग में यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा उपरोक्तानुसार निर्देशित प्रक्रियानुरूप कोई आवेदन/अभ्यावेदन आपको प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा आपके स्तर से एकजाई सुधार प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्राप्त नहीं होता है तो प्रकाशित की जा रही इस अनंतिम वरिष्ठता सूची को अंतिम मानकर सेवा संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में सूची में रह जाने वाली किसी भी विसंगति के लिये यथास्थिति संबंधित कर्मचारी अथवा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5— **प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची** को वेबसाईट www.surguja.gov.in पर भी अपलोड कराया जा रहा है जिसका अवलोकन कर सूची डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार अनंतिम वरिष्ठता सूची 01 पृष्ठ।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
सरगुजा—संभाग—अम्बिकापुर, छ.ग.

पृ.क्रमांक / /स्थापना/अवि./ 2018. अम्बिकापुर, दिनांक / /2018.

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर, छ.ग.।
2. अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा, छ.ग.।
3. (समस्त) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला—कोरिया/जशपुर/बलरामपुर/सूरजपुर, सरगुजा संभाग, छ.ग.।
4. (समस्त) प्राचार्य, शासकीय बहुद्येशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/शासकीय बहुद्येशीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र— अम्बिकापुर, सरगुजा संभाग, छ.ग.।
5. (समस्त) संबंधित कर्मचारी : श्री/श्रीमती/कु. ....
   पदनाम ....
   पदस्थापना स्थान ....
   (द्वारा— संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को प्रेषित कर लेख है कि, प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगतिपूर्ण प्रविष्टि दर्ज है या आपके नाम के सम्मुख किसी कॉलम में जानकारी दर्ज होने से शेष रह गई है अथवा आप इस सेवा संवर्ग में नियमित तौर पर मूल धारित पद पर कार्यरत हैं, परन्तु आपका नाम सूची में दर्ज होने से छूट गया है तो ऐसी स्थिति में त्रुटि सुधार के लिये उल्लेखानुसार अपना आवेदन/अभ्यावेदन (स—प्रमाण) निर्धारत समय—सीमा में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करें।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
सरगुजा—संभाग—अम्बिकापुर, छ.ग.

3— आपसे अनुरोध है कि, संबंधित सेवा संवर्ग की प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची की प्रति आपके जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं को तथा आपके अधीनस्थ सेवा संवर्ग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को तत्काल (आज ही) उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, चाहे संबंधित किसी कर्मचारी का नाम सूची में दर्ज होने से छूट ही क्यों न गया हो।

4— यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, सेवा संवर्ग में यदि किसी भी कर्मचारी के द्वारा उपरोक्तानुसार निर्देशित प्रकियानुरूप कोई आवेदन/अभ्यावेदन आपको प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा आपके स्तर से एकजाई सुधार प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्राप्त नहीं होता है तो प्रकाशित की जा रही इस अनंतिम वरिष्ठता सूची को अंतिम मानकर सेवा संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में सूची में रह जाने वाली किसी भी विसंगति के लिये यथास्थिति संबंधित कर्मचारी अथवा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5— **प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची** को वेबसाईट www.surguja.gov.in पर भी अपलोड कराया जा रहा है जिसका अवलोकन कर सूची डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार अनंतिम वरिष्ठता सूची 01 पृष्ठ।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
सरगुजा—संभाग—अम्बिकापुर, छ.ग.

पृ.क्रमांक/356-05/स्थापना/अवि./ 2018. अम्बिकापुर, दिनांक 02/05/2018.

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर, छ.ग.।
2. अधीक्षक सह् संयुक्त संचालक, चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा, छ.ग.।
3. (समस्त) सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला—कोरिया/जशपुर/बलरामपुर/सूरजपुर, सरगुजा संभाग, छ.ग.।
4. (समस्त) प्राचार्य, शासकीय बहुद्येशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/शासकीय बहुद्येशीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र— अम्बिकापुर, सरगुजा संभाग, छ.ग.।
5. (समस्त) संबंधित कर्मचारी : श्री/श्रीमती/कु. ....
   पदनाम ....
   पदस्थापना स्थान ....
   (द्वारा— संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को प्रेषित कर लेख है कि, प्रकाशित अनंतिम वरिष्ठता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगतिपूर्ण प्रविष्टि दर्ज है या आपके नाम के सम्मुख किसी कॉलम में जानकारी दर्ज होने से शेष रह गई है अथवा आप इस सेवा संवर्ग में नियमित तौर पर मूल धारित पद पर कार्यरत हैं, परन्तु आपका नाम सूची में दर्ज होने से छूट गया है तो ऐसी स्थिति में त्रुटि सुधार के लिये उल्लेखानुसार अपना आवेदन/अभ्यावेदन (स—प्रमाण) निर्धारत समय—सीमा में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करें।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं,
सरगुजा—संभाग—अम्बिकापुर, छ.ग.

सरगुजा संभाग के अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में
जूनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची
(दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में)

क्र.	जिला	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पिता / पति का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान (संस्था का नाम)	प्रथम नियुक्ति का पद	प्रथम नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	वर्तमान पद का नाम	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	वर्तमान पद पर स्थाई करण का दिनांक	जन्म तिथि	वर्ग (अ.ज.जा.,अ.जा.,अ.पि. वर्ग,सामान्य)	शैक्षणिक योग्यता	कर्मचारी का गृह जिला	यदि ... विभागी ... न्याया ... लोका ... आर्थिक अन्वेषण कोई लंबित ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1[illegible]
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	नि[illegible]

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, छ.ग.